

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

18

No.E(P&A)II-2019/RS-14

New Delhi, dated: 3.08.2019

महाप्रबंधक (का.),
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर.

दिनांक. 16.08.19.....
प्रमुकाधि.....
मुकाधि/प्रो.....
22/08/19
APD/HQ,

विषय:- रनिंग कर्मचारियों को स्पेयर ड्यूटी के दौरान अर्जित किये गये कार्य के घंटों को समयोपरि भत्ता के भुगतान हेतु गणना के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पूर्वोत्तर रेलवे का पत्र सं. वि/523/5/रनिंग भत्ता परिचालन दिनांक :-09.07.2019.

उपरोक्त विषय पर, पूर्वोत्तर रेलवे से एक पत्र मिला है. जिसमें पूछा गया है कि रनिंग कर्मचारियों द्वारा स्पेयर ड्यूटी के दौरान अर्जित कार्य के घंटों के आधे भाग अथवा पूरे भाग की गणना करनी है।

इस संदर्भ में यह बताया जाता है कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई.(पी&ए)II-80/आरएस-10 दिनांक 17.07.1981 के पैरा 3.25 में दिये गये निर्देशों के अनुसार गाडी संचालन से पूर्व अथवा पश्चात् यात्रियों के रूप में या जब उन्हें बाहरी स्टेशनों पर किसी गाडी के संचालन से सम्बद्ध कार्य के लिए बुलाया गया हो लेकिन गाडी रद्द हो जाने के कारण गाडी के संचालन के बिना वापस जाने के लिए यात्रा करने वाले रनिंग कर्मचारियों को "लाइट-ड्यूटी" करने वाले के रूप में माना जाएगा और वास्तव में यात्रा की गयी किलोमीटर दूरी के आधे का भुगतान किया जायेगा। रनिंग कर्मचारियों को स्पेयर ड्यूटी के दौरान अर्जित किये गये कार्य के घंटों के आधे भाग की गणना का प्रावधान है।

उपरोक्त संबंधित प्रावधान वर्तमान में भी लागू है जिसमें अभीतक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
प्रचारित
ई०पी०सं०. 03-15.....
क्रमांक सं०. 170/2019.....
पत्र सं०. 219/16/आ.सं. 11110.....
दिनांक..... 22.08.2019.....
21/8/19
कृते महाप्रबन्धक (कार्मिक)

संयुक्त निदेशक स्था.(वे. एवं भ.)
रेलवे बोर्ड
(एन. पी. सिंह)

25
19/8
श्री प्रकाश सिंह
819
R
208
31.8.19
2/8/19

Receiver
21.8.19